दिनांक 05.11.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 155 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त नौशाद पुत्र शब्बीर निवासी तैलियो वाली गली ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को पाडली रोड के पास से रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 155 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 256/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद पुत्र शब्बीर निवासी तैलियो वाली गली ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

155 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 74 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

"स्वस्थ पुलिस – सशक्त पुलिस" के संकल्प के साथ सहारनपुर पुलिस लाईन में 05 दिवसीय योग कार्यशाला का शुभारंभ पद्मश्री स्वामी भारत भूषण द्वारा मोक्षायतन योग संस्थान के तत्वावधान में आयोजन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **श्री आशीष तिवारी** के दिशा-निर्देशन एवं प्रेरणा से आज दिनांक **05 नवम्बर 2025** को **परेड ग्राउण्ड, पुलिस लाइन्स सहारनपुर** में पुलिस कर्मियों के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने हेतु **05 दिवसीय योग कार्यशाला** का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला सुप्रसिद्ध योगगुरु **पद्मश्री स्वामी भारत भूषण**, संस्थापक **मोक्षायतन योग संस्थान, सहारनपुर** द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को तनावमुक्त, ऊर्जावान एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनाना है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक निष्ठा, दक्षता एवं मनोबल के साथ कर सकें।

कार्यशाला के प्रथम दिवस पर जनपद के सभी थानों, शाखाओं तथा पुलिस लाइन्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के साथ-साथ पुलिस परिवाजनों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। लगभग **600 पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों** ने सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का अनुभव किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आशीष तिवारी द्वारा योग कार्यशाला के उद्घघाटन पर कहा—"योग भारतीय संस्कृति का अमूल्य उपहार है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। योग से मनोबल, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे पुलिस बल अधिक सशक्त, अनुशासित और संवेदनशील बनता है।"

पद्मश्री स्वामी भारत भूषण ने योग के माध्यम से जीवन में अनुशासन, संयम एवं संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि—"योग का अभ्यास केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी सशक्त बनाता है। यदि पुलिस कर्मी इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो वे न केवल अधिक स्वस्थ रहेंगे बल्कि समाज सेवा में भी अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगे।"

इस अवसर पर **श्री सागर जैन (पुलिस अधीक्षक ग्रामीण)**, **श्री सिद्धार्थ वर्मा (पुलिस अधीक्षक यातायात/लाइन्स)**, **श्री मनोज कुमार यादव (सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वितीय/लाइन्स)**, **सुश्री रूचि गुप्ता (क्षेत्राधिकारी कार्यालय)**, **श्री अशोक सिसौद्विया (क्षेत्राधिकारी नकुड़)**, **श्री मुनीश चन्द (क्षेत्राधिकारी प्रथम)**, **श्री बीरेन्द्र बहादुर (प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स)** सहित पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

पुलिस कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम तथा नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक 04.11.2025 को रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा शेरपुर पुलिया के पास से 01 शातिर शराब तस्कर **रिजवान पुत्र साद्दी निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रिजवान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 255/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

रिजवान पुत्र साद्दी निवासी ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सचिन त्यागी, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर
2. हे0का0 847 धर्मेन्द्र, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर

दिनांक - 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई ।

आज दिनांक **05.11.2025** *को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों —*

1. **मोबीन पुत्र बुन्दु** *निवासी म0न016 पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित एनबीडब्लू एसपीएल 810/19, क्राइम सं. 559/19, धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना मण्डी, सहारनपुर में गिरफ्तार (सम्बन्धित मा0 न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. 04 सहारनपुर) नियत तिथि: 01.01.2026 में गिरफ्तार किया गया ।*
2. **मसरूर पुत्र मौ0 यासीन** *निवासी शकूरी मस्जिद चांद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं. 12685/21, मु0अ0सं0 275/21, धारा 379/411 भादवि, थाना कु0 शेर, सहारनपुर को (मा0 न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर) नियत तिथि: 05.01.2026 में गिरफ्तार किया गया ।*

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. *मोबीन पुत्र बुन्दु, निवासी पीर वाली गली नं. 16, थाना मण्डी, सहारनपुर*
2. *मसरूर पुत्र मौ0 यासीन, निवासी शकूरी मस्जिद, चांद कालोनी, थाना मण्डी, सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 प्रतापदत्त शर्मा, थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर*
2. *हे0का0 0672 प्रदीप, थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर*
3. *का0 01600 मनोज, थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर*

दिनांकः05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

आज दिनांक **05.11.2025** को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार —

3. मुन्ना यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी स0पुर को सम्बन्धित एनबीडब्लू वाद सं0 13131/22 व मु0अ0सं0 63/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना आबकारी स0पुर (मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सहारनपुर) नियत तिथि 01.01.2026 में शिवेन्द्र विहार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. मुन्ना यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवेन्द्र विहार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जगपाल थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 345 फारूखअली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.11.2025

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम एवं वाहन चोरों/नकबजनों/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है।

उक्त अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री **अक्षय शर्मा** *के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक* **05.11.2025** *को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग एवं गश्त के दौरान एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।*

चेकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा **फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल** *सहित अभियुक्त* **हिमांशु पुत्र फुल कुमार निवासी मोहल्ला पूरनपुर गढ़मीरपुर, थाना रामपुर मोड़, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** *को* **देहरादून से बिहारीगढ़ की ओर आने वाले सर्विस रोड पर निर्माणाधीन टोल गेट के पास से गिरफ्तार** *किया गया।*

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0 152/2025, धारा 317(2)/317(5)/347(1) बीएनएस** *में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

हिमांशु पुत्र फुल कुमार निवासी मोहल्ला पूरनपुर गढ़मीरपुर, थाना रामपुर मोड़, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी का विवरण –

01 चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर (नम्बर प्लेट – UK 08 R-473, फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 912 मोतीलाल, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1557 गौरव कुमार, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 05.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत कुल 02 मुकदमों में 38 गैस सिलेण्डरों को गैस ऐजन्सी को सुपुर्द कर नियमानुसार माल निस्तारण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में श्री देवेन्द्र सिंह उप-जिला मजिस्ट्रेट बेहट सहारनपुर व जिला पूर्ति निरीक्षक बेहट की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी बेहट श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय व थाना प्रभारी बिहारीगढ़ श्री अक्षय शर्मा की मौजूदगी में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.11.2025 को हेड मोहर्रिर टेक चन्द थाना बिहारीगढ़ द्वारा 02 अभियोगो से सम्बन्धित कुल 38 घरेलू गैस सिलेण्डरों को शैलपुत्री इण्डेन गैस ऐजन्सी को सुपुर्द कर नियमानुसार माल निस्तारण कराया गया।

शैलपुत्री इण्डेन गैस ऐजन्सी के मालिक श्री संजीव गुप्ता को अवगत कराया गया कि आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त माल को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे।

टीम का विवरणः-

1- श्री वैभव पाण्डेय क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर

2. श्री देवेन्द्र सिंह उपजिला मजिस्ट्रेट बेहट सहारनपुर

3. श्री अक्षय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

4. हेड़ मोहर्रिर 386 टेक चन्द थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 04.11.25 को वादी दानिश पुत्र नसीम अहमद निवासी सूरज विहार कालोनी 62 फुटा रोड गोल्डन पैलेस थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर तहरीर दी कि दिनांक 02.11.2025 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP-11-AR- 5955 को गोल्डन पैलेस से चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 579/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **02 वाहन चोरी अभियुक्तगण 1. फारुख पुत्र नसीम निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. बाबर पुत्र अनवर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी मोटर साईकिल UP-11-AR- 5955 के पार्टस बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. फारुख पुत्र नसीम निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. बाबर पुत्र अनवर निवासी ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल के पार्टस बरामद (UP-11-AR- 5955)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः- 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये माल को बेचकर प्राप्त धनराशि कुल 18000/ रूपये नगद बरामद

घटनाओं का संक्षिप्त विवरणः –

दिनांक 08.10.25 को वादी मौ0 सावेज पुत्र मो0 इमरान नि0 नागल थाना नागल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की प्लाट से अनाज व सरसो चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 406/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.11.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें मे वाँछित चल रहे **अभियुक्त रणधीर उर्फ बिल्लू पुत्र राकेश शर्मा निवासी बाल्मीकि कॉलोनी पुराना कलसिया रोड खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर** को खाता खेड़ी मैन रोड पर परवेज की आरा मशीन के आगे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के अनाज को बेचकर उसे प्राप्त 18000/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनए की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः-

अभियुक्त रणधीर उर्फ बिल्लू उफरोक्त ने पूछने पर बताया कि यह जो रुपए मेरे पास मिले हैं यह गेहू और सरसों को बेच कर मिले हुए रुपयों में से बचे हुए रूपये है, एक बन्द चक्की से मैं और मेरे दो साथियों ने कई दिन तक लगातार रात में एक-एक दो-दो कट्टे निकाल लेते थे और बाद में चलते फिरते लोगों को बेच देते थे और पैसो को नशे पत्ते में खर्च करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रणधीर उर्फ बिल्लू पुत्र राकेश शर्मा निवासी बाल्मीकि कॉलोनी पुराना कलसिया रोड खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

18000/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 406/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2245 अंशु यादव थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 05.11.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे संघन चैकिंग अभियान के तहत बडी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान बिना नम्बर प्लेट लगाये खनन परिवहन करते 10 वाहनों के विरूद्ध की गई चालानी कार्यवाही

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन, अवैध खनन सामग्री के परिवहन तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी **श्री विनोद कुमार** के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक **05.11.2025** को बिना नम्बर प्लेट लगे वाहनों के विरूद्ध महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।

दौरान चैकिंग एवं गश्त, थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर **बिना नम्बर प्लेट लगाये खनन सामग्री का परिवहन करते हुए 10 डम्फर व ट्रक वाहनों** को पकड़ा गया। इन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार **चालानी कार्यवाही** की गई है।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद में अवैध खनन एवं बिना पंजीकृत अथवा फर्जी नम्बर प्लेट लगे वाहनों द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा यह अभियान भविष्य में भी निरंतर रूप से चलाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का अवैध खनन या अवैध परिवहन जनपद सहारनपुर में न हो सके।

चालानी कार्यवाही का विवरण –

कुल 10 वाहन (डम्फर व ट्रक) बिना नम्बर प्लेट लगे

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

1. सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर
2. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 अंकित कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
6. हे0का0 157 संदीप कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी, चोरी, लूट, अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष **श्री प्रवेश कुमार** के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

दिनांक **05.11.2025** को दौरान गश्त एवं चेकिंग के दौरान थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा **सरकारी टंकी के पास, ग्राम छपरेड़ी, थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर** से एक शातिर अभियुक्त **चांद उर्फ टूटा पुत्र युसुफ निवासी 40 फुटा रोड, किदवई नगर, थाना खालापार, जिला मुजफ्फरनगर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर** बरामद किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेड़ी पर **मु0अ0सं0 335/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** में अभियोग पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

चांद उर्फ टूटा पुत्र युसुफ, निवासी 40 फुटा रोड, किदवई नगर, थाना खालापार, जिला मुजफ्फरनगर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1983/2015, धारा 25 आयुध अधिनियम, चालानी थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0 666/2020, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, चालानी थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण –

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सौरभ यादव, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 831 सोनू ढाका, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 342 आशीष कुमार, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध लगातार चलाये जा रहे संघन चैकिंग अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही

थाना देवबन्द पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड मिट्टी से भरे, बिना प्रपत्र व बिना नम्बर के 02 डम्पर सीज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है।

उक्त अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा** एवं **ए0आर0टी0ओ0 श्री वाणी विलास शुक्ला** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक **05.11.2025** को चौकी खेडा मुगल क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया।

दौरान चेकिंग, थाना देवबन्द पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 02 डम्पर वाहनों को रोका गया जो **ओवरलोड मिट्टी से भरे, बिना किसी वैध प्रपत्र के एवं बिना नम्बर प्लेट लगे** पाए गए । उक्त दोनों डम्पर वाहनों को नियमानुसार **सीज** किया गया है।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

विवरण –

- 02 डम्पर वाहन, बिना नम्बर व बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए, दोनों वाहनों को संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही सीज किया गया।

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर
2. ए0आर0टी0ओ0 श्री वाणी विलास शुक्ल
3. थाना देवबन्द पुलिस टीम
4. परिवहन विभाग की टीम

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाहीः-

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री **विनय शर्मा** के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।*

*आज दिनांक **05.11.2025** को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा निम्न 02 वारंटी अभियुक्तों को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया —*

1. ***इश्कलाल पुत्र गेन्दा**, निवासी ग्राम बुड्ढाखेड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
    - *संबंधित वाद सं. 1584/25, धारा 367/325/120 भा0द0वि0 चालानी थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
    - *माननीय न्यायालय: ए.सी.जे.एम. महोदय, कोर्ट नं. 11, जनपद सहारनपुर*
2. ***वसीम पुत्र इस्लाम**, निवासी ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
    - *संबंधित वाद सं. 7719/25 व मु0अ0सं0 284/15, धारा 279/338/337/427 भा0द0वि0 चालानी थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण –

1. *इश्कलाल पुत्र गेन्दा, निवासी ग्राम बुड्ढाखेड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
2. *वसीम पुत्र इस्लाम, निवासी ग्राम गन्देवड़ा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री शेषपाल सिंह, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 307 प्रदीप कुमार, थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी का माल (01 चोरी की बैल्डिंग मशीन, 01 बैल्डिंग लीड, 01 पैकिट बैल्डिंग रॉड, 01 स्टार्टर, म्यूजिक प्लेयर, 01 कटर) बरामद

घटनाओं का विवरणः

1. दिनांक **25.10.2025** को वादी **श्री मो0 अहमद पुत्र मो0 आबिद निवासी सड़क दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** की तहरीर पर, दिनांक 24/25-10-2025 की रात्रि को वादी की लोहे की दुकान से सामान व मशीन चोरी करने के संबंध में **मु0अ0सं0 308/25 धारा 305(ए) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।
2. दिनांक **04.11.2025** को वादी **श्री साजिद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी ग्राम उग्राहूँ थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर** की तहरीर पर, दिनांक 03.11.2025 को निर्माणाधीन मकान से स्टार्टर, म्यूजिक प्लेयर व पत्थर काटने की मशीन चोरी होने के संबंध में **मु0अ0सं0 329/25 धारा 305(ए) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, नकबजनी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष **श्री प्रवेश कुमार** के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चोरी की दो घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने दिनांक 24/25.10.2025 की रात्रि को ग्राम कुम्हारहेड़ा के सामने स्थित बैल्डिंग की दुकान में नकब लगाकर बैल्डिंग मशीन, लीड, रॉड व पैचकस चोरी किया था, जिसमें से कुछ सामान उन्होंने कबाड़ियों को बेच दिया था। दिनांक 03.11.2025 को दिन में लगभग 1 बजे ग्राम उग्राहूँ में एक निर्माणाधीन मकान से समरसेबिल का स्टार्टर, पत्थर काटने की मशीन व म्यूजिक प्लेयर चोरी किया था, जिसे वे बेचने जा रहे थे कि पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

आज दिनांक 05.11.2025 **को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा दोनों वांछित अभियुक्तगण –**

1. आमिर पुत्र नईम अहमद निवासी ग्राम सड़क दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. यूनुस पुत्र शब्बीर अहमद नि0 मोहल्ला तकिया देहरादून चौक थाना जनकपुरी, सहारनपुर को माजरी जाने वाले रास्ते पर पुराने हिन्डन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

*गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर दोनों अभियोगों में **धारा 317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गई है।*

अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर निम्नलिखित चोरी का माल बरामद किया गया –

- *01 चोरी की बैल्डिंग मशीन, 01 बैल्डिंग लीड, 01 पैकिट बैल्डिंग रॉड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 308/25 धारा 305(a) बीएनएस)*
- *01 स्टार्टर, म्यूजिक प्लेयर, 01 कटर (सम्बन्धित मु0अ0स0 329/25 धारा 305(ए) बीएनएस)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 रामचरन सिंह, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री शिवकुमार, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 591 इरशाद खान, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर*
5. *हे0का0 716 राकेश राणा, थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

‼️क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री अभितेष सिंह द्वारा थाना नागल क्षेत्रान्तर्गत "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया।‼️

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री अभितेष सिंह द्वारा थाना नागल क्षेत्रान्तर्गत वैदिक फिलिंग स्टेशन पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पेट्रोल भरवाने आये दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक किया गया तथा बताया गया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन के लिए भी अत्यंत जोखिमपूर्ण है।

➡️पेट्रोल पम्प के मालिक, मैनेजर व कर्मियों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाये और "नो हेलमेट नो फ्यूल" नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये।

*इस अवसर पर क्षेत्रीय पुलिस बल एवं पेट्रोल पम्प के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अभियान का उद्देश्य आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।*

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

*➡️यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान*

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा थाना मण्डी क्षेत्रान्तर्गत बेहट अड्डे पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

➡️वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की तुरंत सहायता कर उसे अस्पताल पहुँचाना मानवता का कार्य है, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है।

➡️कार्यक्रम के दौरान "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से जागरूक कर वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग व नशे में वाहन न चलाने की सलाह दी गई। मौके पर थाना मण्डी पुलिस बल व यातायात कर्मी भी उपस्थित रहे।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

*!!􀀀यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से लोगो को किया गया जागरूक!!􀀀*

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रिया यादव द्वारा व थाना चिलकाना पुलिस द्वारा लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन, चिलकाना पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया।

➡️उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जीवन रक्षक कवच की तरह कार्य करता है। अतः प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक को स्वयं की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल पम्प मालिकों व कर्मचारियों से भी अपील की कि बिना हेलमेट आने वाले चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिल सके।

􀀀􀀀अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस बल एवं पेट्रोल पम्प कर्मी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस में सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाते हुए यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

***!!**यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से लोगों को किया गया जागरूक**!!** *

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मुनीश चन्द्र द्वारा थाना मण्डी क्षेत्रान्तर्गत कुमार पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया।

➡️वाहन चालकों को संबोधित करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जीवन रक्षक कवच की तरह कार्य करता है तथा सिर की गंभीर चोटों से बचाव करता है। उन्होंने कहा कि स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक चालक को हर बार वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए।

➡️अभियान के दौरान पेट्रोल पम्प मालिक, मैनेजर एवं कर्मियों को भी निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट आने वाले चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, ताकि "नो हेलमेट नो फ्यूल" नियम का प्रभावी पालन हो सके।

➡️इस अवसर पर थाना मण्डी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

!!□यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी बेहट श्री वैभव पाण्डेय द्वारा वाहन चालकों को यातायात के नियमों से किया गया जागरूक!!□

➡□आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा थाना बेहट परिसर में बस एवं ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया।

वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया तथा उन्हें यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करने की सलाह दी। उन्होंने विशेष रूप से ई-रिक्शा चालकों को निर्देशित किया कि सवारियों को कभी भी गलत दिशा या सड़क के बीचोंबीच से न उतारें और न ही चढ़ाएँ, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

➡□इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि यदि कहीं सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुँचाना प्रत्येक नागरिक का मानवीय दायित्व है, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। कार्यक्रम में थाना बेहट पुलिस बल एवं स्थानीय चालकगण उपस्थित रहे।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.11.2025

!!️यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री अशोक सिसोदिया द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से लोगो को किया गया जागरूक!!️

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री अशोक सिसोदिया द्वारा थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत देशराज अशोक कुमार पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया।

➡️सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जीवन रक्षक कवच के रूप में कार्य करता है और सिर की गंभीर चोटों से बचाव करता है। उन्होंने सभी चालकों से अपील की कि वे स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बार वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।

➡️इस दौरान पेट्रोल पम्प मालिक, मैनेजर एवं कर्मियों को भी निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, जिससे “नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.11.2025

‼️यातायात माह के अन्तर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से लोगों को किया गया जागरूक।‼️

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत जगन्नाथ एण्ड कम्पनी पेट्रोल पम्प पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया।

➡️उपस्थित वाहन चालकों को बताया कि सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है, अतः प्रत्येक चालक को हर समय हेलमेट पहनना चाहिए। साथ ही सभी को यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि नियमों का पालन करना स्वयं की तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

➡️पेट्रोल पम्प मालिक, मैनेजर एवं कर्मचारियों से भी अपील की कि बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़े और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अभियान के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस बल एवं पेट्रोल पम्प कर्मी उपस्थित रहे।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

‼️यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से किया गया जागरूक।‼️

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम द्वारा थाना नानौता क्षेत्रान्तर्गत सिद्धार्थ फिलिंग स्टेशन, दिल्ली रोड पर "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡️इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को संबोधित करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट जीवन रक्षक कवच की भांति कार्य करता है। अतः प्रत्येक चालक को अपनी सुरक्षा हेतु वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए।

➡️उन्होंने पेट्रोल पम्प मालिक, मैनेजर एवं कर्मचारियों से भी अपील की कि बिना हेलमेट आने वाले चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, जिससे “नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान के दौरान थाना नानौता पुलिस बल एवं पेट्रोल पम्प कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरूक करना एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

*➡️पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा समाजसेवियों का सम्मान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित*

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा थाना नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब इकाई अम्बेहटा में आयोजित एक सम्मान एवं जनजागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

➡️कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने वाले सम्मानित नागरिकों को सम्मान चिह्न प्रदान कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

➡️इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा उपस्थित जनसमूह को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग हेतु प्रेरित किया गया तथा आमजन को पुलिस हेल्पलाइन नम्बरों, महिला हेल्पलाइन, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों एवं ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रहने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

!!यातायात माह के अन्तर्गत सहारनपुर पुलिस का "NO HELMET – NO FUEL" अभियान !!

* सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सहारनपुर पुलिस की विशेष पहल*

➡यातायात माह के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने तथा आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में "नो हेलमेट – नो फ्यूल" अभियान चलाया गया।

➡आज दिनांक 05.11.2025 को 15:00 बजे से 17:00 बजे तक जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर पुलिस टीमों द्वारा व्यापक चेकिंग की गई। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया गया और बिना हेलमेट आने वालों को ईंधन नहीं दिया गया।

* सहारनपुर पुलिस की आमजन से अपील*

- दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।
- कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
- धीमी गति एवं अपनी लेन में चलें।
- किसी भी आपात स्थिति/दुर्घटना में 108 या 112 पर संपर्क करें।

□ क्या न करें
□ नशीले पदार्थ/शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं।
□ वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
□ तेज गति से वाहन न चलाएं।

□ उद्देश्य
यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने, ट्रैफिक नियमों के पालन की प्रवृत्ति विकसित करने एवं सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

□ सहारनपुर पुलिस का संदेश —
“सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें — जीवन अनमोल है।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.11.2025

‼️यातायात माह के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी बेहट श्री वैभव पाण्डेय द्वारा "नो हेलमेट नो फ्यूल" अभियान से लोगो को किया गया जागरूक।‼️

➡️आज दिनांक 05.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बेहट श्री वैभव पाण्डेय द्वारा थाना मिर्जापुर क्षेत्रान्तर्गत राठौर फिलिंग स्टेशन पर "नो हेलमेट नो पेट्रोल" अभियान के अंतर्गत आमजन व पेट्रॉल पम्प कर्मियों को जागरूक किया गया।

➡️इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट सिर की गंभीर चोटों से बचाव करने में अत्यंत सहायक होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चालक को अपनी सुरक्षा के लिए हर समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए।

➡️पेट्रोल पम्प मालिक, मैनेजर एवं कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाये, ताकि “नो हेलमेट नो पेट्रोल” नियम का प्रभावी पालन हो सके।

*अभियान के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस बल एवं पेट्रोल पम्प कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना है।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
5.0

□ थाना बिहारीगढ़ : मिशन शक्ति एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत महिला सुरक्षा व जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित □

आज दिनांक 05 नवंबर 2025 को थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बाजारों एवं ग्रामों में महिला सशक्तिकरण अभियान "मिशन शक्ति फेज 5.0" तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अवसर पर महिला उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह एवं महिला आरक्षी 1169 चंचल द्वारा क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, साइबर अपराध तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

□ कार्यक्रम के मुख्य बिंदु :

महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा: महिलाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों एवं मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी गई। सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएँ: विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाओं की जानकारी साझा की गई। बाल अधिकार व सुरक्षा: बाल मजदूरी न कराने तथा गुड टच – बैड टच के विषय में शिक्षाप्रद जानकारी दी गई। साइबर सुरक्षा जागरूकता: फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक, डिजिटल अरेस्ट व अन्य साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियाँ बताई गईं।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:

☎□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☎□ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☎□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☎□ 1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम के दौरान महिला उपनिरीक्षक द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

□ थाना गंगोह : मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित □

आज दिनांक 05 नवंबर 2025 को थाना गंगोह क्षेत्र अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अभियान "मिशन शक्ति फेज 5.0" के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से जनसंपर्क एवं चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में महिला उपनिरीक्षक खुशबू, महिला आरक्षी प्रीति, तथा कांस्टेबल नरेंद्र कुमार द्वारा कस्बा गंगोह के ननौता चौक, कस्बा बाजार, तिराहा, लखनौती तिराहा, एवं शिव चौक आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान महिलाओं की चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी गई तथा उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं एवं सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

□ प्रमुख बिंदु :

महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा: महिलाओं को उनके अधिकारों एवं मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी गई।जनकल्याणकारी योजनाएँ: विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई।बाल अधिकार: बाल मजदूरी न कराने एवं गुड टच – बैड टच के विषय में जागरूक किया गया। साइबर सुरक्षा जागरूकता: डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल तथा अनचाहे लिंक से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियाँ बताई गईं।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी:

☎□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

☎□ 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

☎□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

☎□ 1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक किया गया और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

➡️थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का संचालन एंटी रोमियो टीम की महिला उपनिरीक्षक मिथिलेश राठौर तथा महिला कांस्टेबल 505 प्रीति द्वारा किया गया।

थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, बस अड्डा एवं सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। महिलाओं को बताया गया कि सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके प्रति समाज में सम्मान की भावना को सशक्त करना है।

टीम ने महिलाओं को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को बताया गया कि "डिजिटल एरेस्टिंग" जैसी झूठी अफवाहों से भ्रमित न हों तथा किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या संदेश के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।

इसके साथ ही टीम ने साइबर फ्रॉड, फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग, फर्जी ऑनलाइन लोन एप्स और ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे बचाव के सरल उपाय बताए।महिलाओं को प्रेरित किया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और सतर्क रहकर अपने परिवार, सहेलियों व आस-पास की महिलाओं को भी जागरूक करें।
साथ ही उपस्थित जनों को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई—
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एंबुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

टीम ने बताया कि पुलिस द्वारा संचालित मिशन शक्ति केंद्रों में महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस अवसर पर एंटी रोमियो टीम की उपनिरीक्षक मोनिका यादव तथा महिला मुख्य आरक्षी पुष्पा द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों — तकिया जानकनगर, एस.बी.डी. चौराहा, देहरादून चौक, जेलचुंगी, बाजोरिया रोड एवं मंदिर थाना जनकपुरी क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

टीम द्वारा बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी गई, जिसमें महिलाओं की आत्मरक्षा, सशक्तिकरण तथा समाज में उनके सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। उपस्थित बालिकाओं को डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने तथा साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

इसके साथ ही उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों एवं बच्चों के कल्याण संबंधी अभियानों की जानकारी भी प्रदान की गई। टीम ने महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई –
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

महिलाओं को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति या साइबर अपराध की घटना पर इन नंबरों पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

➡️महिला थाना सहारनपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में महिला थाना सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत उपनिरीक्षक अर्शिया, महिला मुख्य आरक्षी रीता, महिला आरक्षी सरिता कश्यप, होमगार्ड रूबी एवं होमगार्ड ममता द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों — कोर्ट रोड, शास्त्री नगर, हकीक़त नगर, आदर्श नगर, सुभाष नगर, गुरुद्वारा रोड, बीजोपुरी पोस्ट रोड, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5 के उद्देश्यों के बारे में बताया गया, जिसमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। महिलाओं को अपने अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा समाज में सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उपस्थित बालिकाओं को डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सचेत रहने, सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और अज्ञात कॉल, मैसेज या लिंक पर प्रतिक्रिया न देने हेतु जागरूक किया गया। टीम ने साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैकिंग जैसे अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी तथा किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट करने हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सशक्तिकरण योजनाओं, महिला कल्याण कार्यक्रमों एवं बच्चों के हित में संचालित अभियानों के बारे में अवगत कराया गया।

टीम द्वारा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई —
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

साथ ही मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका एवं सहायता सेवाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अभियान के अंतर्गत टीम ने उपस्थित जनों को नशा मुक्ति अभियान के प्रति भी जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। 15.30

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

➡️थाना नागल पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं व पुरुषों को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के पर्यवेक्षण में थाना नागल पुलिस की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम द्वारा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर महिला कांस्टेबल 109 ज्योति एवं महिला कांस्टेबल 1114 रीना द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने नागरिकों को बताया कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें हर स्तर पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने लोगों को डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सतर्क रहने, अज्ञात कॉल, लिंक या संदेशों पर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करने, एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु जागरूक किया। साथ ही उपस्थित जनों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग लिंक, एवं अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

महिलाओं व पुरुषों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सशक्तिकरण योजनाओं, महिला सुरक्षा कार्यक्रमों, एवं बच्चों से संबंधित कल्याणकारी अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित लोगों को अपने अधिकारों, सुरक्षा व संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई –

1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल संरक्षण हेतु)
1970 – विशेष आपातकालीन सहायता सेवा
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा
181 – महिला हेल्पलाइन सेवा

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

➡️थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं व पुरुषों को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नागल के पर्यवेक्षण में थाना चिलकाना पुलिस की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला कांस्टेबल चांदनी द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं पुरुषों को डिजिटल सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। टीम ने नागरिकों को बताया कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके अधिकारों के प्रति सजग करना तथा समाज में उन्हें सम्मानजनक व सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने उपस्थित जनों को डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सावधान रहने, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करने तथा किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।लोगों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी वेबसाइट्स एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही बाल संरक्षण एवं महिला कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया।

महिलाओं एवं पुरुषों को अपने अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के कानूनी उपायों की जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति या अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

कार्यक्रम के दौरान निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई —
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल संरक्षण हेतु)
1970 – विशेष आपातकालीन सहायता सेवा
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 / 108 – एम्बुलेंस सेवा
181 – महिला हेल्पलाइन सेवा

अभियान के दौरान जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा नागरिकों को सतर्क, जागरूक एवं सहयोगी बनने का संदेश दिया गया ताकि समाज में सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की भावना को और अधिक मजबूत किया जा सके।

थाना चिलकाना पुलिस की यह पहल मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से समाज में विश्वास, सुरक्षा और समानता का वातावरण सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

दिनांक: 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡️ थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना गागलहेड़ी पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के तहत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व उपनिरीक्षक ओमपाल यादव ने किया, जिनके साथ महिला कांस्टेबल 1332 ज्योति एवं महिला कांस्टेबल 1089 शशिवाला शामिल रहीं। टीम द्वारा गांव चौरादेव एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पुलिस द्वारा संचालित एक विशेष पहल है। टीम ने महिलाओं को डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सतर्क रहने, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करने तथा किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या संदेश पर प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रेरित किया।

इसके साथ ही उपस्थित जनों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग एवं फर्जी वेबसाइटों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं, शैक्षिक व आत्मरक्षा कार्यक्रमों, तथा बच्चों के कल्याण संबंधी अभियानों के बारे में भी बताया गया।

टीम ने सभी को अपने अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक किया और समाज में महिला सम्मान की भावना को सशक्त करने का संदेश दिया।

अभियान के दौरान नागरिकों को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

टीम द्वारा नागरिकों को नए कानूनों, मिशन शक्ति केंद्र की सेवाओं एवं ऑपरेशन नशा मुक्ति से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि नशा समाज, परिवार और व्यक्ति – तीनों के लिए विनाशकारी है, अतः इससे दूर रहना ही सच्ची सामाजिक जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम के दौरान नाम व नंबर अंकित जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा उपस्थित नागरिकों को सतर्क, आत्मनिर्भर और सहयोगी नागरिक बनने का आह्वान किया गया।

थाना गागलहेड़ी पुलिस का यह प्रयास महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जो समाज में सुरक्षा और संवेदनशीलता का संदेश प्रसारित करता है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡महिला थाना सहारनपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में महिला थाना सहारनपुर में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एक विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी श्रीमती बबीता तोमर द्वारा किया गया, जिसमें साइबर टीम एवं मिशन शक्ति टीम की सक्रिय भागीदारी रही। टीम द्वारा जनकनगर, देहरादून चौक एवं आसपास के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बताया गया कि डिजिटल युग में सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। उन्हें डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, अनचाहे लिंक, ऑनलाइन ठगी एवं सोशल मीडिया हैकिंग जैसे बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने समझाया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।

साथ ही महिलाओं को साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर – 1930 तथा वेबसाइट – www.cybercrime.gov.in
के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल इन माध्यमों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

टीम ने मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुए महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में सतर्क व जागरूक रहने हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए तथा उपस्थित महिलाओं को अपने परिवार व समुदाय में साइबर सुरक्षा के प्रति सजगता फैलाने का संदेश दिया गया।

महिला थाना सहारनपुर का यह प्रयास साइबर अपराधों से बचाव, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जो समाज में सुरक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता का सशक्त संदेश देता है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत विशेष जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

इस अभियान में एंटी रोमियो टीम की महिला कांस्टेबल 865 दिशा एवं महिला पीआरडी बिंद्रावती द्वारा कस्बा नकुड़ के जनक बाजार, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

टीम ने महिलाओं से उनकी समस्याएँ सुनीं और उन्हें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे —
विधवा पेंशन योजना,
कन्या सुमंगला योजना,
बाल कल्याण योजनाएँ,
बाल मजदूरी रोकथाम अभियान,
एवं गुड टच-बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान टीम ने साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विशेष बल दिया। महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, फिशिंग लिंक, एवं ऑनलाइन ठगी जैसी बढ़ती घटनाओं से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया।

टीम द्वारा नागरिकों को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई —1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल संरक्षण हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

साथ ही महिलाओं को बताया गया कि किसी भी साइबर अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में वे तुरंत इन माध्यमों से संपर्क करें अथवा नजदीकी थाना या महिला हेल्पडेस्क से सहायता प्राप्त करें।

टीम ने सभी को ऑनलाइन सुरक्षा के मूल मंत्र — “सतर्क रहें, सुरक्षित रहें” को अपनाने का संदेश दिया तथा समाज में साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की।

थाना नकुड़ पुलिस का यह प्रयास समाज में महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक पहल है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.11.2025

➡ थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर साइबर अपराध जागरूकता अभियान संचालित

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर साइबर अपराध जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने तथा डिजिटल माध्यमों पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने हेतु जागरूक किया गया। टीम द्वारा उपस्थित जनों को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फिशिंग कॉल्स, फर्जी लिंक्स, ऑनलाइन ठगी एवं सोशल मीडिया हैकिंग जैसे अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने लोगों को बताया कि साइबर अपराध से संबंधित किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

टीम द्वारा उपस्थित नागरिकों को सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

***1090 –** वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)*
***1076 –** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन*
***1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल संरक्षण हेतु)*
***1930 –** साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन*
***108 –** एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)*
***112 –** पुलिस आपातकालीन सेवा*

टीम ने उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएँ पूछीं तथा स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए सुझाव दिए। साथ ही जागरूकता पम्पलेट वितरित कर सभी को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या संदेश की सूचना तुरंत पुलिस को देने और अपने परिवार व समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया।

थाना साइबर क्राइम सहारनपुर का यह अभियान साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास है, जो डिजिटल युग में सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡️थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं यातायात सुरक्षा माह के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना सरसावा पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी सरसावा श्री संजीव कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में मिशन शक्ति टीम की उपनिरीक्षक अन्नू परिहार, महिला कांस्टेबल अलका एवं महिला कांस्टेबल विनीता ने सक्रिय भूमिका निभाई। टीम ने कस्बा सरसावा बाजार, झंडा चौक, ऑटो/बस स्टैंड, CHC सरसावा, नकुड़ तिराहा, मेन बाजार, पालिका बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित किया।

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख हैं –

विधवा पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
बाल कल्याण योजनाएँ
बाल मजदूरी निषेध अभियान
गुड टच-बैड टच के माध्यम से बच्चों को आत्मरक्षा हेतु जागरूक करना

अभियान के दौरान महिलाओं व नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षा के उपायों के प्रति भी जागरूक किया गया। टीम ने डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, अनचाहे लिंक्स, फिशिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्कता बरतने का आह्वान किया। नागरिकों को बताया गया कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in
पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के तहत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व महिला उपनिरीक्षक अंजू सिंह द्वारा किया गया, जिनके साथ महिला आरक्षी 986 शिवानी एवं महिला आरक्षी 988 मीनाक्षी सम्मिलित रहीं। टीम द्वारा शहर के प्रमुख स्थलों — नवाबगंज चौक, ICICI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक व एटीएम, नुमाइश कैंप, महिंद्रा कोटक बैंक, जुबली पार्क, नकाशा बाजार, कक्कड़ गंज, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, खालसा पब्लिक स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, नेहरू मार्केट, शहीदगंज, सराय चौक, भारत माता चौक, बेरी बाग, फैशन सिटी, बागेश्वर मंदिर, बालाजी मंदिर, सैनी पंचायती मंदिर, भैरव मंदिर, कंपनी क्षेत्र आदि स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को बताया गया कि मिशन शक्ति फेज-5.0 का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की भावना को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उन्हें डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सचेत किया गया तथा साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बताई गईं।

टीम ने महिलाओं को साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, अनचाहे लिंक्स, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने हेतु जागरूक किया। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं, बाल कल्याण कार्यक्रमों, एवं कानूनी अधिकारों व सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

सराय चौक पर महिला चौपाल का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं से उनकी समस्याएँ सुनी गई और समाधान हेतु उचित सुझाव प्रदान किए गए। इस अवसर पर टीम द्वारा सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई –

1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल संरक्षण हेतु)

टीम ने उपस्थित जनों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में ये हेल्पलाइन नंबर महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं।

अभियान के अंतर्गत जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा नागरिकों से आग्रह किया गया कि वे स्वयं और अपने परिवार को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी तथा महिला सुरक्षा से संबंधित विषयों पर सतर्क एवं जागरूक रखें।

थाना कोतवाली नगर पुलिस की यह पहल महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में एक सराहनीय एवं प्रेरणादायक प्रयास है, जो समाज में विश्वास, जागरूकता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है।

दिनांकः 05.11.2025

-प्रेस नोट-

➡थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक

आज दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना कुतुबशेर पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अभियान का नेतृत्व महिला उपनिरीक्षक सुमन द्वारा किया गया, जिनके साथ महिला कांस्टेबल 845 ममता सम्मिलित रहीं। टीम ने लेबर कॉलोनी बाजार, शारदा नगर बाजार, मानकमऊ बस अड्डा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया।

टीम ने बालिकाओं एवं महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बताया कि यह अभियान समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, आत्मनिर्भरता एवं सम्मान की भावना को सशक्त करने के लिए चलाया जा रहा है।
साथ ही उन्हें डिजिटल एरेस्टिंग जैसी झूठी अफवाहों से सतर्क रहने तथा सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, अनचाहे लिंक्स, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया हैकिंग आदि अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।
साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं, बाल कल्याण कार्यक्रमों, एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

टीम द्वारा उपस्थित जनों को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —
1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)
1930 – साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन
108 – एम्बुलेंस सेवा (स्वास्थ्य आपातकाल)
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके अतिरिक्त टीम ने नागरिकों को मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में जानकारी दी, जहाँ महिलाओं को कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग एवं आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

अभियान के दौरान ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। टीम ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार और समाज के लिए भी हानिकारक है, अतः इससे दूर रहकर स्वस्थ व सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है।

कार्यक्रम के अंत में नाम व नंबर अंकित जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएँ सुनी गईं।